


जुकेशनल सोसायटी/कानून 30 50 (1)का
 - 143 जमीन/60 ल. 2010 का अधिनियम
 नया पंचगाई परगना अगाई (1)का



परवाना अमलदरामद

न्यायालय उप जिलाधिकारी सिकन्द्राबाद जिला
 वाद सं० टी20141117044/89
 लक्ष्मी ऐजुकेशनल सोसायटी बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार
 धारा 143 जर्गी0वि0 एवं भूमि व्य0 अधि0
 मौजा रूपवास पंचगाई परगना
 व तहसील सिकन्द्राबाद।

तहसीलदार
 सिकन्द्राबाद।

उपरोक्त वाद में न्यायालय के आदेश दिनांक 22.12.2014 के अन्तर्गत खाता संख्या 33 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0133 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 290 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 609 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0130 हैक्टे0 लगानी 0.65 रू0, खाता संख्या 189 गाटा संख्या 241म रकबई 0.0250 हैक्टे0 लगानी 01.25 रू0, खाता संख्या 313 गाटा संख्या 243 रकबई 0.6400 हैक्टे0 लगानी 22.05 रू0, खाता संख्या 436 गाटा संख्या 245 रकबई 0.2830 हैक्टे0 लगानी 06.95 रू0 व खाता संख्या 435 गाटा संख्या 248/1053 रकबई 0.1530 हैक्टे0 लगानी 08.85 रू0 वार्षिक भूमि स्थित ग्राम रूपवास पंचगाई परगना व तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया गया है।

अतः उपरोक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कर परवाना की रफ प्रति इत्त न्यायालय को अधिलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करे।

22/12/14

(अतुल कुमार)
 उप जिलाधिकारी
 सिकन्द्राबाद।

संख्या 111/... /तद दिनांक 22/12/14

प्रतिलिपि- सय रजिस्ट्रार सिकन्द्राबाद को इस आशय से कि यह जमींदारी विनाश अधिनियम नियमावली के नियम 137 के अनुसार कार्यवाही करके जिला रजिस्ट्रार को भेजने का कष्ट करे।

सय प्रतिलिपि
 22/12/14

(अतुल कुमार)
 उप जिलाधिकारी
 सिकन्द्राबाद।

22/12/14

सिकन्द्राबाद जिला

अतुल कुमार

233
 22/12/14
 22/12/14
 22/12/14
 SP